न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोटा

पत्रावली संख्या : 19 / 2025 (अपील, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

उनवान

श्री अमजद खान,एडवोकेट, निवासी 2 सी 2 विज्ञान नगर कोटा राज0
(अपीलार्थी)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा

(प्रतिपक्षी)

अपील अन्तर्गत धारा 19 (1)
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय दिनांकः 5/12/25

1— अपीलार्थी श्री अमजद खान,एडवोकेट, निवासी 2 सी 2 विज्ञान नगर कोटा राज0 जिला कोटा (मो0 9829098192) द्वारा यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत इस बाबत् प्रस्तुत की है कि अपीलार्थी / प्रार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत दिनांक 25.09.2025 को लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी दीगोद के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से सूचना चाही गई। उपखण्ड अधिकारी दीगोद द्वारा उक्त सूचना के संबध में अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका सुल्तानपुर को लिखा गया किन्तु अधिशाषी अधिकारी न कोई सूचना उपलब्ध करवाई गई न ही कोई कार्यवाही की गई है। अतः प्रथम अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी को नियत तिथि के अन्दर मांगी गई सूचना की जानकारी की प्रमाणित सूचना देने हेतु अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका सुल्तानपुर एवं उपखण्ड अधिकारी दीगोद को आदेश जारी करने की कृपा करे।

2— अपीलार्थी की अपील पर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा से टिप्पणी / जवाब हेतु उन्हें पत्रांकः रीडर / एडीएम / 2025 / 615 दिनांक 19.11.2025, से लिखा गया।

3— लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी दीगोद द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार आवेदक अपीलार्थी को सूचना दिये जाने बाबत अधिनियम की धारा 6(3) के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी दीगोद द्वारा तहसीलदार दीगोद

अति० जिला कलक्टर
कोटा

एवं अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका सुल्तानपुर को अन्तरण कि गई, जिसकी सूचना अपीलार्थी को भी दी गई।

प्रकरण में अपीलार्थी को तहसीलदार दीगोद द्वारा तो सूचना अपने पत्रांक 07–08 दिनांक 14.11.2025 से उपलब्ध करवाई जा चुकी है। यदि अपीलार्थी को अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका सुल्तानपुर से कोई सूचना नही हुई है तो अपीलार्थी नगर पालिका के अपीलीय अधिकारी के यहा अपील प्रस्तुत कर सकता है।

पत्रावली में अपीलार्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी दीगोद को प्रस्तुत आवेदन पत्र में कार्यालय जिला कलक्टर महोदय के पत्रांक विकास/842 दिनांक 4.09.25 पर की गई कार्यवाही की सूचना चाही गई जो प्रश्नात्मक् होने के कारण सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत देय नही है।

अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होने से खारिज की जाती है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी दीगोद को भिजवाई जावे।

(वीरेन्द्र सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
एवं प्रथम अपीलीय
अधिकारी कोटा,जिला
कोटा